आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–05 / 2023	
30.05.2023 08/06/23	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री बाबुलाल कुंटिया एवं अन्य, ग्राम–कुपुई, प्रखण्ड–चक्रधरपुर, जिला–पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम ने आयोग को अपना लिखित प्रतिवेदन भेजा है। आयोग सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन एवं अन्य दस्तावेज की प्रति संलग्न कर विभागीय सचिव को पत्र भेजते हुए इस गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करें। क्योंकि यह एक गंभीर विषय है। जिले में आवंटन न मिलना एवं कुछ वजह से लाभुकों को अनाज नहीं मिलना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के प्रावधानों की अनदेखी एवं उल्लंघन है। ऐसे में सम्बन्धित लाभुकों को तत्काल अनाज उपलब्ध कराने हेतु अनाज का आवंटन तत्काल भेजा जाय एवं सभी लाभुकों को 1.25 गुना मुआवजा के साथ पिछला अनाज उपलब्ध कराया जाय। आयोग के आज के आदेश पर अग्रेत्तर कार्रवाई पर सुनवाई दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.06.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx71	